बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सा०नि० / स्था०17–16 / 2020 - 169 / पटना, दिनांकः– 19/07/24

कार्यालय आदेश

श्री दीपक कुमार, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, पूर्णिया पूर्व, पूर्णिया सम्प्रति सेवानिवृत अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, सहरसा के विरूद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1121(15) / रा० दिनांक–08.09.2020 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, पूर्णिया का पत्रांक–520 / स्था० दिनांक–19.03.2020 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर गठित आरोप पत्र पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत निदेशालय के का०आ०सं०–167 सहपठित ज्ञापांक–1023 दिनांक–14.06.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), पूर्णिया को संचालन पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्णिया सदर, पूर्णिया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री दीपक कुमार के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को निदेशालय के का०आ०सं०–130 सहपठित ज्ञापांक–835 दिनांक–16.05.2024 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(ख) के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही में परिवर्तित किया गया।

2. श्री दीपक कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के द्वितीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनों का सार में निम्न आरोप गठित किये गये :–

(i) वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में आपदा जनित घटनाओं में मृतक के निकटतम अश्रितों को अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान में गंभीर लापरवाही बरतना एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करना।

(ii) दिनांक–05.08.2019 को पूर्णियाँ बस स्टैंड के समीप हुई बस दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की राशि का बिना जाँच किये एवं नियमानुसार अभिलेख संधारित किये गलत तरीके से भुगतान करना।

(iii) पूर्णियाँ पूर्व प्रखंड अन्तर्गत श्री राम जानकी गोकुल कृष्ण ठाकुरबाड़ी, ततमा टोली, पूर्णियाँ के चहारदीवारी निर्माण कार्य का मापी प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जाना।

(iv) उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता, कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, सरकारी कार्य मे शिथिलता बरतना।

(v) अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व द्वारा ऑन लाईन दाखिल–खारिज एवं अन्य मामलों का निष्पादन सिलसिलेवार तरीके से नहीं किया जाना तथा कार्यालय प्रबंधन का नहीं होना

3. अपर समाहर्ता–सह–अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच), पूर्णिया के पत्रांक–1949 / रा० दिनांक–13.05.2024 द्वारा श्री दीपक कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में जाँच प्रतिवेदन / मंतव्य समर्पित किया गया है। उक्त समर्पित जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने निम्न मंतव्य दिया है :–

"आरोप पत्र में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध वर्णित आरोप, आरोपी पदाधिकारी के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा, उपस्थापन पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर पूर्णिया का मंतव्य एवं संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी पदाधिकारी पर गठित आरोप संख्या (01) एवं (02) मुख्य रूप से आपदा जैसे अतिसंवेदनशील मामले में पीड़ित परिवार को तत्काल राहत नहीं पहुँचाना एवं राशि की निकासी कर काफी विलंब से उसका भुगतान करना, आरोपी पदाधिकारी के असंवेदनशील रवैया तथा विभागीय आदेश की अवहेलना एवं कर्त्तव्यहीनता को दर्शाता है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा जो भी तर्क अपने कारणपृच्छा में दिया गया है वह स्वीकार्य योग्य नहीं है, इससे कर्त्तव्यहीनता तथा अनुशासनहीनता का आरोप प्रमाणित होता है। आरोप संख्या–03, 04 एवं 05 में लगाये गये आरोपों में तथ्यात्मक आंकड़ों का अभाव है। फिर भी नापी जैसे कार्य को लगभग 1½ वर्ष में सम्पन्न कराया जाना एवं दाखिल खारिज तथा लगान निर्धारण के मामले में शिथिलता बरतना आरोपी पदाधिकारी के उपर स्वेच्छाचारिता से कार्य करना एवं विभागीय कार्य के प्रति लापरवाही का आरोप प्रमाणित होता है।

अतः श्री दीपक कुमार, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, पूर्णिया पूर्व, पूर्णिया सम्प्रति प्रभारी चकबंदी पदाधिकारी, बिहियाँ प्रखंड, भोजपुर के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप प्रमाणित होता है"।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित संचालन प्रतिवेदन पर समर्पित अपने अभ्यावेदन में श्री दीपक कुमार ने निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है :–

(i) बतौर अंचलाधिकारी वे पूर्णिया पूर्व का प्रभार दिनांक–05.03.2019 को ग्रहण किये। चल रहे वित्तीय वर्ष 2018–19 में शेष 26 दिनों के लिए मालगुजारी वसूली, सैरात बन्दोबस्ती एवं अन्य वित्तीय दायित्वों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का जिला पदाधिकारी का आदेश था।

आपदा जनित घटनाओं में मृतक के निकटतम आश्रितों को देय राशि के भुगतान के लिए उनके कार्यकाल से पूर्व के पदाधिकारी के वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–2019 में क्रमशः 1 करोड़ 04 लाख एवं 52 लाख की उप आवंटित राशि की निकासी तो कर ली गयी, लेकिन लाभुक को भुगतान नहीं किया गया था। वे इस दिशा में अभिलेख सं०–10/2019–20 एवं अभिलेख सं०–16/2019–20 का संधारण कर विधिसम्मत निष्पादन प्रारंभ किये। जुलाई, 2019 के पूर्व तक का सभी लंबित भुगतान कर दिया गया।

उनके द्वारा विधिसम्मत रूप से सही–सही दावेदारों को सरकारी अनुदान के पश्चात् जिले के वाट्सअप ग्रुप मे सूचना दे दी गयी थी एवं जिला स्तरीय मासिक बैठक में भी इसकी सूचना उनके द्वारा दे दी गयी थी।

(ii) दिनांक–05.08.2019 को घटित बस स्टैण्ड के समीप बस दुर्घटना में मृत व्यक्ति के पक्ष में उनके द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया, क्योंकि मृत व्यक्ति जब गंभीर रूप से घायल थे तब उनके परिजनों के द्वारा बेहतर ईलाज के लिए तुरंत सिलीगुड़ी लेकर चले गये, जहाँ उनकी मृत्यु हो गयी। वस्तुतः मृत व्यक्ति बेगुसराय के रहनेवाले थे एवं अपने रिश्तेदार के यहाँ पूर्णिया आये हुए थे।

उनके रिश्तेदारों से संपर्क स्थापित कर अनुदान हेतु आवश्यक दस्तावेज यथा–पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र वगैरह उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया, लेकिन न तो कोई दस्तावेज उपलब्ध कराया गया और ना ही उनलोगों के द्वारा कोई प्रयास किया गया।

दिनांक–08.06.2019 को पूर्णिया स्थित बेलौरी चौक के पास घटित सामुहिक दुर्घटना जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी, उनके निकटतम परिजन (मृतक की विधवा पत्नी) को अनुदान राशि के भुगतान के लिए अभिलेख संख्या–10/2019–20 का संधारण कर कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, थाना के यू०डी० केस की प्रति, स्थानीय जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मृतक की विधवा जैनव को सरकारी अनुदान का चेक प्रदान किया गया।

(iii) वर्णित गोकुल कृष्ण ठाकुरबाड़ी के नापी हेतु उप विकास आयुक्त, पूर्णिया द्वारा प्रेषित पत्रांक–185/विकास दिनांक–04.06.2018 तथा पत्रांक–241/विकास दिनांक–27.07.2018 उनके प्रभार ग्रहण करने से पूर्व के तत्कालीन पदाधिकारी के लिए आदेशित था। उनके कार्यकाल में प्रथम पत्र पत्रांक–297/विकास दिनांक–17.09.2019 प्राप्त हुआ। तत्काल वर्णित ठाकुरबाड़ी के चारो ओर सैकड़ों अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध अतिक्रमण वाद संख्या–49/2019–20 का संधारण कर कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी। माह–सितम्बर, 2019 में वर्षा ऋतु के चलते प्रश्नगत ठाकुरबाड़ी की भूमि की नापी में कठिनाई थी। ठाकुरबाडी की जमीन की नापी जनवरी, 2020 में की जा सकी, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है कि डेढ़ वर्ष पश्चात् जो मापी हुई थी उसमें करीब एक वर्ष तक उनके पूर्ववर्ती पदाधिकारी द्वारा टाल कर लटकाया गया था।

(iv) पूर्णिया जिला में पूर्णिया पूर्व अंचल ग्रामीण क्षेत्र के 14 हल्का (चौदह पंचायत) तथा नगरीय क्षेत्र के 21 वार्ड (पुराना 48 वार्ड) में विभक्त जिला का सबसे बड़ा अंचल है। वे दिनांक–05.03.2019 से अगस्त, 2020 तक दाखिल खारिज ऑनलाईन आवेदन एवं नगरीय क्षेत्र के बेलगान जमीन के निर्धारण हेतु प्राप्त आवेदनों का निष्पादन किये, विभिन्न प्रतिष्ठानों के लिए भूमि उपलब्ध कराये, अतिजटिल अतिक्रमण को हटाकर मुक्त कराये एवं पूर्णिया व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सरकारी क्वार्टर के चारों ओर पिछले 50 वर्षो से चले आ रहे अतिक्रमण को दो दिनों में निष्पादित किये।

उनके सम्पूर्ण सरकारी सेवाकाल में उनके उपर भ्रष्टाचार या आर्थिक गबन का कोई आरोप नहीं है। कार्य निर्वहण में कुछ कमी रही भी है तो यह परिस्थितिजन्य है।

5. श्री दीपक कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं उसपर श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के समीक्षा से प्रतीत होता है कि इनके विरूद्ध कार्यो के निष्पादन में लापरवाही एवं सरकारी कार्य में शिथिलता बरतने का आरोप है। इनके विरूद्ध आरोप में वित्तीय गबन एवं सरकारी राशि की क्षति का मामला परिलक्षित नहीं होता है।

ऐसी स्थिति में श्री दीपक कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, पूर्णिया पूर्व, पूर्णिया सम्प्रति सेवानिवृत अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, सहरसा को इस शर्त पर आरोप मुक्त किया जाता है कि भविष्य में संविदा पर इनके सरकारी सेवा में नियोजन पर रोक रहेगा।

ह०/–
(हिमांशु कुमार राय)
निदेशक

ज्ञापांकः–अ०सा०नि०/स्था०17–16/2020–1120 /पटना, दिनांकः–12/07/24

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. उप निदेशक (सां०), कोशी प्रमण्डल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. श्री दीपक कुमार, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, पूर्णिया पूर्व, पूर्णिया सम्प्रति सेवानिवृत अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

10.7.24

निदेशक